

Gallery No.12/2, Jamnagar House Shahjahan Road, New Delhi – 110 011 Dated, the 11th January, 2017

To

The Director General National Test House, Sector-V, C.P. Block, Salt Lake, Kolkata-700091.

Subject:- Seventh Central Pay Commission's recommendations – revision of pay scales – Amendment of Recruitment Rules for the post of Director Grade-II in National Test House.

Sir,

I am directed to refer to Department of Personnel & Training O.M. No.AB-14017/13/2016-Estt. (RR) dated 9th August, 2016, on the above mentioned subject and to forward herewith copy of the Revised Recruitment Rules 2016 for the post of Director Grade II in National Test House duly notified in the Gazette of India, Part II, Section3, Sub Section(i) vide GSR No.240 dated 10.12.2016 for record and further necessary action. These Recruitment Rules are also available on the website of egazette.nic.in in the name of this Ministry.

(D.K.Sonker)
Deputy Director (NTH)
Tel No.23073612
E-mail: d.sonker@nic.in

Copy to:

1. Director/ scientist-In charge, All regional Branches, National Test House,

 Department of Personnel and Training, Estt.(RR)Division, North Block, New Delhi
 Secretary, Union Public service Commission [Kind attention: Shri B.S.Heet, Under Secretary(RR).]

4. L-1, Legislative Department, Shastri Bhavan, New Delhi. (OL) & (English).

5. The Parliament Library, Parliament Annexe, Parliament Street, New Delhi(Two copies)

Guard files.

संख्या ए-12018/03/1998-एन.टी.एच. भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग

गैलरी संख्या 12/2, जामनगर हाऊस नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 जनवरी, 2017

सेवा में,

महा निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, सेक्टर- V, सी0 पी0 ब्लॉक, साल्ट लेक, कोलकाता-700 091

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें – वेतनमानों में संशोधन – राष्ट्रीय परीक्षण शाला में निदेशक (श्रेणी -2) के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन।

महोदय,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 अगस्त, 2016 के का0ज्ञा0 संख्या एबी 14017/13/2016-स्थापना(आर.आर.) का सन्दर्भ देने और सा0का0िन0 सं0 240 दिनांक 10.12.2016 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचित किए गए, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में निदेशक (श्रेणी -2) के पद हेतु संशोधित भर्ती नियम, 2016 की एक प्रति अभिलेख और भावी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का निदेश हुआ है। ये भर्ती नियम egazette.nic.in की वेबसाईट पर भी इस मंत्रालय के नाम से उपलब्ध हैं।

(डी0 कैं0 सोनकर)

उप निदेशक (एन0टी0एच0)

दूरभाष: 23073612 ई-मेल: d-sonker@nic.in

प्रति:

- 1. राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सभी क्षेत्रीय शाखाओं के निदेशक/वैज्ञानिक-प्रभारी।
- 2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना (आर.आर.)प्रभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग [ध्यानाकर्षण: श्री बी.एस. हीट, अवर सचिव (आर.आर.)]
- 4. एल-1, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (राजभाषा) एवं (अंग्रेजी)।
- 5. संसद भवन पुस्तकालय, संसदीय सौंध, संसद मार्ग, नई दिल्ली (दो प्रतियां)।
- 6. गार्ड फाईल



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण साविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश , उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

सा.का.नि: 235.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, [महाप्रबंधक (वाणिज्य) शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने], भर्ती नियमावली 1993 के अधिक्रमण में इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों तथा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोडकर, जहां तक उनका संबंध महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद से हैं, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने के महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद पर भर्ती की पद्धति को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात

- ाः संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्मः—(i) इन नियमों को कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, महाप्रबंधक (वाणिज्य) वर्ग "क" भर्ती नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
 - 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन भेट्रिक्स में स्तर— उक्त पदों की संख्या तथा उनका वर्गीकरण और वेतन भेट्रिक्स में उनके स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।
 - भर्ती पद्धित, आयु—सीमा योग्यता आदि इस पद से सबिधत भर्ती पद्धित, आयु—सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।
 - 4. अयोग्यता.— कोई व्यक्ति
 - (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो अथवा

5470 GI/2016

(1307)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 240.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता, निदेशक (ग्रेड-2) भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) में राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता में निदेशक (श्रेणी-2) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता, निदेशक (ग्रेड-2) भर्ती नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न पे-मैट्रिक्स स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनसची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1, निदेशक (श्रेणी-2)	04* (2016) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 रूपये 118500- 209200/-	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख संभाग, हिमांचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-सम्भाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य	0.0		
अहर्ताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति –भर्ती सीधे
	विहित आयु और शैक्षिक	अवधि यदि	होगी या प्रोन्नति द्वारा या
	अहर्ताएं पदोन्नति के	कोई हो	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा
	मामले में लागू होगी		तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा
			भरी जाने वाली रिक्तियों का
	:	28.2	प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	आयु: नहीं	सीधी भर्ती के	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन	शैक्षिक अर्हताएं: हां	लिए दो वर्ष	पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत
(शुद्ध या व्यावहारिक)/भौतिकी (शुद्ध या			अल्पकालिक संविदा भी है)
व्यावहारिक) में स्नाकोत्तर की डिग्री या			द्वारा, दोनों के न हो सकने पर
इंजीनियरिंग या धातुकर्म या वस्त्र/रबड़	×		सीधी भर्ती द्वारा।
प्रीद्योगिकी में डिग्री या उसके समकक्षा	1. D	4	
(ii) पदार्थों के परीक्षण और मूल्यांकन के क्षेत्र में	100		a 10
प्रबंधकीय कार्य का 12 वर्ष का अनुभव और	2		v
पदार्थ विज्ञान की किसी प्रतिष्ठित प्रयोगशाला			* , .
या संस्थान में पदार्थ व्यवहार का ज्ञान प्राप्त हो।	3 * 9		g ²
टिप्पणी 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की	,	a .	
दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार			
शिथिल की जा सकती है।			-
टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी (अर्हताएं) संघ लोक सेवा	% e		
आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और	y a		ļ.
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब			ж.
शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर			i .
संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उसके लिए	. "		*
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के	12		
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की			
संभावना नहीं है।			***
वांछनीय:			
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	ar and a second		÷
रसायन/भौतिकी में डाक्टरेट की डिग्री या			-
इंजीनियरिंग/धातुकर्म/प्रौद्योगिकी में स्नाकोत्तर			
की डिग्री या उसके समकक्ष।	-		8 2
(ii) प्रशासनिक कार्यों का पर्याप्त अनुभव विशेषकर	N N		
किसी प्रयोगशाला में।			
(iii) औद्योगिक सामग्री तथा परीक्षण संबंध पद्धति में			
अनुसंधान का अनुभव।	e .		* ,

(12) हु 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के	(13)
हि न विचानाय श्रासात तामात (श्रासात क	सीधी भर्ती करते समय और किसी
घ में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से लकर बनेगी:	अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)
संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई	पर नियुक्ति करते समय संघ लोक
स्य : अध्यक्ष महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला; और	सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
	तकर बनेगी: संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई स्य : अध्यक्ष

सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा ऐसी अईक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अईक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अईक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अबधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अईक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है):-

केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (ग) (i) जो मूल कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर धारित समतुल्य पद धारण कर रहे हैं; अथवा
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12, रूपये 78800-209200/- या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो: और
 - (घ) स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।

टिप्पण-1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुयक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. अपर/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी::

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला

शाला : अध्यक्ष 2. अपर/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले

विभाग :सदस्य

टिप्पण- 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स के तत्स्थानी स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. ए-12018/3/1998-एन टी एच] डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन टी एच)

New Delhi, the 6th December, 2016

- G.S.R. 240.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) National Test House, Kolkata, Director (Grade II), Recruitment Rules, 2007, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Grade II) in the National Test House, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement.- (1). These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), National Test House, Director (Grade II) Recruitment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc. The method of recruitment to the said post, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification.- No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non- selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
Director (Grade-II)	04* (2016) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial	Level 13 in the Pay Matrix rupees 118500-rupees 209200.	(S) Selection	Not exceeding 50 years (relaxable for Government Servants by five years' in accordance with the instructions issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmin State, Lahaul and Spit District and Pangi Subdivision of Chamba District of Himacha Pradesh, Andaman and

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment: whether by Direct Recruitment or by Promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Master's Degree in Chemistry(Pure/Applied)/, Physics (Pure/Applied) or Degree in Engineering or Metallurgy or Textile / Rubber Technology of a recognised University or equivalent; (ii) twelve years' experience in Managerial capacity in the field of testing and evaluation of materials and knowledge of their behavior in a laboratory or institution of standings specialising in Material science.	Age: No Educational Qualification: Yes	Two years for direct recruits	

Note 1: Qualifications are relaxable at		
the disciplion of the Union Dubli-		
Scrvice Commission in cose of	맛나이었는데 그 얼마나 하는 그는 것이 없는 것이 없다.	
calluldates otherwise well qualified		
Note 2: The qualification(s) regarding	[
experience is /are relaxable at the		
discretion of the Union Public Service	[조하는, 저는	
Commission in the		
Commission in the case of candidates		
belonging to Scheduled Castes or	[발발 교육 - 기계	
Scheduled Tribes if at any stage of	[[]	
ociccion ine Union Public Service	[원래] [1] [2]	
Commission is of the opinion that		
bullicient number of candidates from	생활 되다는 이 이번 사이 그런 얼마 하는 내는 생활이 받았다.	
nese communities possessing the	발송을 되었습니다. 이야기는 부모하는 이렇게 하는 그림을 모르는 모르	
equisite experience are not likely	부사이 많은 살이 하는데 하나 나를 다고 하는데 살아 들었다면 살아 다른데 그 때문에 다른데 되었다면 살아 되었다면 살아 되었다면 살아 되었다면 살아 되었다면 살아 살아 먹었다면 살아 되었다면 살아	
ible available to fill up the posts	맞게 하게 되고 있으죠. 그리고 있으므로 계속하는 바람이 됐다는	
eserved for them.	: [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	
DESIRABLE:	get, 클리인 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
i) Doctorate Docess : G		
i) Doctorate Degree in Chemistry/	할 수 있어요? 이 그는 그리고 그는 맛이 없는 그 하다는 이 그릇을 모든 하다.	
Physics or Post Graduate Degree in	됐지만 1일이 이 이렇게 그렇게 되었다. 나는 말다면 됐게 했다	
Engineering/Metallurgy/Technology		
rom a recognised University or	유럽 등 보호하다 그는 그 사이트 내가 되었습니다.	
quivalent;	경기장마하게 되는 게임도를 가려가 다시하는 때문에 모양 기도했다.	
i) Administrative experience	튀어, 노.제. 맛이 어느로 여름 이름을 보고 없었다. 네트워크라이 살으라	
referably in a laboratory, and	: 1. 12.10일 : 1.	
111) Research experience in Industrial	[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
naterials and testing methodology.	옷차 맞는 그는 이번에 내면 가게 가득하다 하는데 차다 하다.	
g methodology.	<u>수 시간 보다는 이 사람이 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데</u>	

In case of recruitment by promotion/deputation, grades from which promotion/deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted
(11)	(12)	in making recruitment.
Promotion: The departmental Scientist D in the level 12 in the Pay Matrix rupees 78800-209200 with five years' regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of - 1. Chairman or a Member of Union Public Service Commission - Chairman 2. Director General, National Test House - Member and 3. Additional Secretary/ Joint Secretary, Department of Consumer Affairs Member Group 'A' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of - 1. Director General, National Test House - Chairman; and 2. Joint Secretary, Department of Consumer Affairs Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing art officer on deputation (including short term contract).
Deputation (Including Short-term Contract)	불러하다 하는 것으로 보고 있다. 그렇게 하였다. 기계 기계 기	
Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies/ Research Institute/Universities. (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/Department; or		

(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 12 in the Pay Matrix rupees 78800-209200 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

Note 1. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2. Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 3. The Maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level extended based on the recommendations of the said Pay Commission

[F. No. A-12018/3/1998-NTH]
D.K. SONKER, Dy. Director (NTH)